न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना आ0ए0एस0

मु.सं.	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
157/15	23.07.2015	18/5/2018

अनुवान

रंगलाल बनाम अंकित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11
व सपठित धारा 151 जा0दी0

उपस्थितः–

1. श्री कप्तान भारद्वाज अभिभाषक प्रार्थी /प्रतिवादी
2. श्री समय सिंह यादव अभिभाषक अप्रार्थी /वादी

प्रार्थी /प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 जा0दी0 का पेश कर निवेदन किया की वादी का वाद कानून मियाद बाहर है। जो बार्ड बाई ला की तारीफ में आता है। वादी ने वर्तमान वाद लगभग 38 साल बाद दायर किया है। जबकि विवादित आराजी खं0 सं0 869 जिसका साविक नम्बर 626 कभी भी वादी या वादी के बुर्जुगों की विरासतन आराजी नही रही है। और ना ही वादी ने अपने दावे के साथ व ना ही आज तक कोई ऐसा दस्तावेज अदालत श्रीमान में पेश किया है, कि जिससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी वादी या उसके बुर्जुगान की विरासतन की आराजी रही हो। हल्का पटवारी द्वारा इन्तकाल संख्या 95 व 96 एक साथ एक ही दिन वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ल0 6 व अन्य लोगो के सामने दरज कर ग्राम पंचायत के सामने पेश किये थे। तथा दोनो इन्तकाल दिनांक 26.09.1977 को तस्दीक किये गये थे। उक्त दिनांक से ही वादी को बखूबी ज्ञान था क्योंकि उसके सामने ही दोनो इन्तकाल स्वीकार हुये थे। जबकि वादी इन्तकाल संख्या 95 को सही मान रहा है। और इन्तकाल संख्या 96 को गलत मान रहा है। दोनो इन्तकाल एक ही दिन उसी समय स्वीकार किये गये थे। उस समय वादी ने कोई आपत्ती नही की इसके बाद बलवान ने उक्त विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये रजिस्टर्ड (पजीकृत) दान पत्र द्वारा दान कर चुका है। जिसका इन्तकाल भी दिनांक 20.03.2015 इन्तकाल संख्या 2984 दर्ज व स्वीकार हो चुका है। जिसके बाबत भी वादी ने आज तक ग्राम पंचायत बूढीबावल के खिलाफ कोई कार्यवाही नही की और ना ही दौराने इन्तकाल कोई अपनी आपत्ती ग्राम पंचायत के समक्ष पेश की । वादी ने अपने दावे में दर्ज किया है कि विवादित आराजी का विरासत इन्तकाल बेगराज के अन्य वारिसो को छोडते हुये एक मात्र वारिस हरचन्द के इन्तकाल संख्या 96 के दरज वो स्वीकार हो गया । जो नितान्त ही गलत है। उक्त विवादित आराजी हरचन्द को कभी भी विरासत में प्राप्त नही हुई जब कि विवादित आराजी हरचन्द की खुद पैदा कर्ता आराजी (सैल्फ एक्वार्ड आराजी) थी। इन्काल संख्या 96 तो हरचन्द की फोतगी के बाद उसके एक मात्र वारिस बलवान पुत्र हरचन्द के दर्ज व स्वीकार हुआ है। जो कानूनन सही हुआ है । और इसलिए वादी ने आज तक ग्राम पंचायत बूढीवावल के निर्णय दिनांक 26.09.1977 को इन्तकाल संख्या 95 व 96 दोनो ही कानून की पालना करते हुये स्वीकार किये थे। वादी के दावे के कथन एवं पेश किये दस्तावेजात से स्पष्ट होता है ,कि विवादित आराजी वादी

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

की कभी भी विरासतन, व पैत्रक आराजी नही रही है। इसलिए मौजूदा दावे के लिए कोई कॉज ऑफ एक्सन अराईज (उत्पन्न) नही होने के कारण वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 काबिज खारिज है।

अप्रार्थी /वादी ने अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि जिमन न0 2 गलत है, स्वीकार नही है वाद वादी मियाद के अन्दर ही पेश किया गया है जो किसी प्रकार से बार्ड बाई लॉ की तारीफ में नही आता है। जिमन न0 3 जिस कदर बयान किया गया है गलत है स्वीकार नही है। विवादित आराजी हाल खं0 सं0 869 जिसके पुराने नम्बर 626 ग्राम बूढीबावल तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0 में स्थित है कि जो मृतक बेगराज पुत्र देवकरण वादी के पिता रंगलाल की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है। सजरा मृतक बेगराज का दावे में दर्ज किया गया है। तथा राजस्व रिकॉर्ड की नकले भी वाद पत्र के साथ पेश की हुई है जो संलग्न पत्रावली हाजा है। जिमन न0 4 गलत स्वीकार नही है। मृतक बेगराज की विरासत का इन्तकाल संख्या 95 उनके चारो विधिक वारिसान हरचन्द, मोहनलाल, रंगलाल, पुत्रान एवं पूरली पुत्री के हक में दर्ज व स्वीकार किया गया लेकिन खं0 सं0 869 का इन्तकाल संख्या 96 पटवारी हल्का द्वारा केवल मात्र मृतक बेगराज के एक ही वारिस हरचन्द के नाम दिनांक 26.09.1977 को दर्ज कर ग्राम पंचायत द्वारा खिलाफ मौका एवं खिलाफ कानून तस्दीक किया गया था। जो समस्त विधिक वारिसान के हक में दर्ज व स्वीकार किया जाना चाहिऐ था। इसलिए मौजूदा वाद पेश किया गया। जिमन न0 5 जिस कदर बयान किया गया है इतना तो सही है, कि बेगराज की विरासत का इन्तकाल संख्या 96 गलत तरीके से हरचन्द के नाम दर्ज व स्वीकार हुआ है। बाकि गलत है स्वीकार नही है। जिमन नं0 6 जिस कदर बयान किया गया है गलत है स्वीकार नही है। विवादित आराजी मृतक बेगराज की कब्जा काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी ने मिथ्या तर्क दर्ज किये है। ऐसी सूरत में प्रार्थना पत्र प्रतिवादी मय हर्जा खर्चा काबिले खारिज है।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी /प्रतिवादी सुनी गई । प्रार्थी /प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया ओर कहा कि वादी का वाद कानून मियाद बाहर है। जो बार्ड बाई ला की तारीफ में आता है। वादी ने वर्तमान वाद लगभग 38 साल बाद दायर किया है। जबकि विवादित आराजी खं0 सं0 869 जिसका साबिक नम्बर 626 कभी भी वादी या वादी के बुर्जुगों की विरासतन आराजी नही रही है। और ना ही वादी ने अपने दावे के साथ व ना ही आज तक कोई ऐसा दस्तावेज अदालत श्रीमान में पेश किया है, कि जिससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी वादी या उसके बुर्जुगान की विरासतन की आराजी रही हो। हल्का पटवारी द्वारा इन्तकाल संख्या 95 व 96 एक साथ एक ही दिन वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ल0 6 व अन्य लोगो के सामने दर्ज कर ग्राम पंचायत के सामने पेश किये थे। तथा दोनो इन्तकाल दिनांक 26.09.1977 को तस्दीक किये गये थे। उक्त दिनांक से ही वादी को बखूबी ज्ञान था क्योंकि उसके सामने ही दोनो इन्तकाल स्वीकार हुये थे। जबकि वादी इन्तकाल संख्या 95 को सही मान रहा है। और इन्तकाल संख्या 96 को गलत मान रहा है। दोनो इन्तकाल एक ही दिन उसी समय स्वीकार किये गये थे। उस समय वादी ने कोई आपत्ती नही की इसके बाद बलवान ने उक्त विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये पंजिकृत दान पत्र द्वारा दान कर दी, जिसका इन्तकाल भी दिनांक 20.03.2015 इन्तकाल संख्या 2984 दर्ज व स्वीकार हो चुका है। जिसके बाबत भी वादी ने आज तक ग्राम पंचायत बूढीबावल के खिलाफ कोई कार्यवाही नही की और ना ही दौराने इन्तकाल कोई अपनी आपत्ती ग्राम पंचायत के समक्ष पेश की । वादी ने अपने दावे में दर्ज किया है कि विवादित आराजी का विरासत इन्तकाल बेगराज के अन्य वारिसो को छोडते हुये एक मात्र वारिस हरचन्द के इन्तकाल संख्या 96 के दर्ज व स्वीकार हो गया । जो नितान्त ही गलत है। उक्त विवादित आराजी हरचन्द को कभी भी विरासत में प्राप्त नही हुई जब कि विवादित आराजी हरचन्द की खुद पैदा कर्ता आराजी (सैल्फ एक्वार्ड आराजी) थी इन्काल संख्या 96 तो हरचन्द की फोतगी के बाद उसके एक मात्र वारिस बलवान पुत्र हरचन्द के दरज वो स्वीकार हुआ है। जो कानूनन सही हुआ है । और इसलिए वादी ने आज तक ग्राम पंचायत बूढीबावल के निर्णय दिनांक 26.09.1977 को इन्तकाल संख्या 95 व 96 दोनो ही कानून की पालना

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

करते हुये स्वीकार किये थे। वादी के दावे के कथन एवं पेश किये दस्तावेजात से स्पष्ट होता है, कि विवादित आराजी वादी की कभी भी विरासतन, पैतृक आराजी नही रही है। इसलिए मोजूदा दावे के लिए कोई कॉज ऑफ एक्सन अराइज नही होने के कारण वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 काबिज खारिज है।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी / वादी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया ओर कहा कि अप्रार्थी /वादी न अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि जिमन न0 2 गलत है स्वीकार नही है वाद वादी मियाद के अन्दर ही पेश किया गया है जो किसी प्रकार से बार्ड बाई लॉ की तारीफ में नही आता है। जिसमन न0 3 जिस कदर बयान किया गया है गलत है स्वीकार नही है। विवादित आराजी हाल खं0 सं0 869 जिसके पुराने नम्बर 626 ग्राम बूढीबावल तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0 में स्थित है कि जो मृतक बेगराज पुत्र देवकरण वादी के पिता रंगलाल की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है। सजरा मृतक बेगराज का दावे में दर्ज किया गया है। तथा राजस्व रिकॉर्ड की नकले भी वाद पत्र के साथ पेश की हुई है जो संलग्न पत्रावली हाजा है। जिमन न0 4 गलत स्वीकार नही है। मृतक बेगराज का विरासत का इन्तकाल संख्या 95 उनके चारो विधिक वारिसान हरचन्द, मोहनलाल, रंगलाल, पुत्रान एवं पूरली पुत्री के हक में दर्ज व स्वीकार किया गया लेकिन खं0 सं0 869 का इन्तकाल संख्या 96 पटवारी हल्का द्वारा केवल मात्र मृतक बेगराज के एक ही वारिस हरचन्द के नाम दिनांक 26.09.1977 को दर्ज कर ग्राम पंचायत द्वारा खिलाफ मौका एवं खिलाफ कानून तस्दीक किया गया था। जो समस्त विधिक वारिसान के हक में दर्ज व स्वीकार किया जाना चाहिऐ था। इसलिए मौजूदा वाद पेश किया गया। जिमन न0 5 जिस कदर बयान किया गया है इतना तो सही है कि बेगराज की विरासत का इन्तकाल संख्या 96 गलत तरीके से हरचन्द के नाम दर्ज व स्वीकार हुआ है। बाकि गलत है स्वीकार नही है। जिमन नं0 6 जिस कदर बयान किया गया है गलत है स्वीकार नही है। विवादित आराजी मृतक बेगराज की कब्जा काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी ने मिथ्या तर्क दर्ज किये है। ऐसी सूरत में प्रार्थना पत्र प्रतिवादी मय हर्जा खर्चा काबिले खारिज है।

विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर मनन किया पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। जमाबन्दी सम्वत 2028 में सरकार से हरचन्द पुत्र बेगराज को जमीन खातेदारी में दर्ज है एवं साबिक रिकॉर्ड में देवकरण गैरमोरूसी दर्ज है। हरचन्द की फोतगी के बाद जो इन्तकाल संख्या 96 दर्ज व स्वीकार हुआ वो हरचन्द के एक मात्र वारिस बलवान के नाम दर्ज व स्वीकार हुआ जो रिकॉर्ड से साबित हो रहा है तथा इन्तकाल संख्या 95 बेगराज की फोतगी के बाद उसके सभी वारिसो के नाम दर्ज व स्वीकार हुआ जो रिकॉर्ड साबित है। पत्रावली में पेश समस्त रिकॉर्ड से यह कही भी साबित नही होता कि विवादित आराजी एनसेस्ट्रल (दादालाई) खातेदारी की आराजी हो तथा हरचन्द पुत्र बेगराज को विवादित आराजी विरास्त में प्राप्त हुई हो। इसलिए प्रार्थना पत्र सही प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी /प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है एवं वादी का वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18/05/2018 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)राज0

Scanned by CamScanner